

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
हसन या कार्यावाही मय इतिशिवस्य जज

नाम व तारीख
आतमान जी वर
मुक्त जी तारीख व
तारीख।

बनारसति भनाम निर्वाज भगीठ
प्रार्थना पत्र संख्या- 62/72/2025

12.05.2025

आज यह प्रार्थना पत्र अस्तमित भाग 219 तारखी एवम् का
प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को विरुद्ध प्रस्तुत कर
निवेदन किया कि आराजी खाता संख्या 44 खसरा संख्या 65/0.8300
खाता संख्या 447 खसरा संख्या 101/0.2400, 102/1777/0.0400,
11/0.1400, 12/0.1400, 13/0.1400, 14/0.1400, 15/0.1700, 2/0.
2000, 22/0.1900, 3/0.1600, 54/0.2000, 53/0.4100, 70/0.2000,
71/1814/0.1000, 72/0.1400, 74/0.0800, 94/0.3100 कुल कित्ता
17 कुल रकबा 3.000 वाके ग्राम धमरेड तहसील राजगढ़ जिला अलवर
तकसीम होने तक आराजी के विरुधी भी निशिष्ठ भाग को दीमर शख्तों को
विरुधी भी प्रकार से मुताबिल कर मुताबिली का दरतावेज मंजीबद न करें,
ना ही कराये, ना ही प्रार्थी को उनके हिरोनुरार कब्जे-कारत व
उपयोग-उपभोग में कोई व्यवधान उत्पन्न करें। कोई नवीन निर्माण कार्य
नहीं करें। अन्त में उक्त विवादित आराजी के मौका व रिकार्ड की स्थिति
यथावत बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त
विवादित आराजीयात प्रार्थी व अप्रार्थीगण की मुताबिक जमावन्दी खाता
संख्या 44, 447 वाके ग्राम धमरेड तहसील राजगढ़ की सहखातेदारी
खातेदारी है। विवादित आराजी की तकसीम होने तक रिकार्ड व मौके की
यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दरतावेजों का अवलोकन
किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया
प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद
किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी आदेशों तक
उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि
आराजी खाता संख्या 44 खसरा संख्या 65/0.8300 खाता संख्या 447
खसरा संख्या 101/0.2400, 102/1777/0.0400, 11/0.1400, 12/0.
1400, 13/0.1400, 14/0.1400, 15/0.1700, 2/0.2000, 22/0.1900,
3/0.1600, 54/0.2000, 53/0.4100, 70/0.2000, 71/1814/0.1000,
72/0.1400, 74/0.0800, 94/0.3100 कुल कित्ता 17 कुल रकबा 3.000
वाके ग्राम धमरेड तहसील राजगढ़ जिला अलवर के मौका व रिकार्ड की
यथास्थिति बनाये रखी जावे। उक्त आदेश उभयपक्षकारान पर प्रभावी
रहेगे। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं
प्रार्थीगण रजिस्टर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करें। इस
संबंध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 13.06.2025 को उपस्थित न्यायालय
होकर पेश करें।

(हरकेश मीना आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
जिला अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अद्वकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए।

17/09/25

पत्रावली पेशा। वकोप प्राप्ती
उप। वास्ते तलकी रिपोर्ट
दिनांक 14/10/25 को पेशा।



14/10/25

पत्रावली पेशा। मूलकाद Notice
के तहत खारिज किया जा चुका
है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RT Act
की कार्यवाही बंद की जाती है।
पत्रावली नम्बर से कम होकर
बाद प्रति मूलकाद के साथ
संलग्न है।

Not Press
Waf



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए।

17/09/25

पत्रावली पेश। वकीलवादी
उप. वास्ते पेश होने तक की
दिनांक 14/10/25 को पेश हो।

8/1
500

14/10/25

पत्रावली पेश। वकीलवादी द्वारा
उपस्थित होकर प्रकरण Note press
कर कार्यवाही नहीं चाहने हेतु निर्दिष्ट
क्रिया गया। अतः पत्रावली Note press
के तहत खारिज किया जाकर
पत्रावली नम्बर से कम होकर जमा हो।

8/1
500

not press
Def.